स्कूल में
उत्पीड़न से सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता

सौम्या भास्करन

शेखर शेषाद्रि

हर रोज दुनिया भर में हजारों बच्चे उत्पीड़न व उपेक्षापूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। इसमें हस्तक्षेप करने का दायित्व मात्र किसी एजेंसी या संगठन का नहीं है, यह तो पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है।

दुनिया भर के बच्चों के 19 प्रतिशत बच्चे भारत में बसते हैं। भारत के 13 राज्यों के 12447 बच्चों के साथ किए गए एक अध्ययन से यह पता लगा है कि छोटे बच्चों को उत्पीड़न और शोषण का खतरा सबसे ज्यादा है। 12447 बच्चों में से दो तिहाई बच्चों का शारीरिक उत्पीड़न हुआ, 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने विभिन्न प्रकार के यौन शोषण का सामना किया और हर दूसरा बच्चा भावनात्मक शोषण का सामना कर रहा था।

बच्चे अपने समय का बड़ा भाग स्कूल में बिताते हैं। स्कूलों की जिम्मेदारी न केवल शैक्षिक बातों को सिखाना है वरन वे बच्चों के सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वह स्थान भी है जहाँ बच्चे परिवार के बाहर पहली बार अपने साथियों व वयस्कों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ये पारस्परिक सम्बन्ध बच्चों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः स्कूल का प्रतिकूल वातावरण उन्हें कमजोर बना सकता है। इसलिए स्कूलों के लिए यह जरूरी है कि वे बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन लाने और उसके सर्वांगीण विकास के लिए खुद को समर्थ बनाएँ। जब बात बच्चों और किशोरों को उत्पीड़न से सुरक्षा दिलाने एवं स्वतन्त्रता सुनिश्चित कराने की हो तो स्कूलों की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि हम शिक्षकों में इस बात की जागरूकता बढ़ाएँ कि स्कूली बच्चों के साथ हर तरह का दुर्व्यवहार होता है। साथ ही उत्पीड़न सम्बन्धी मुद्दों पर शिक्षकों की राय की गहन खोज की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि शिक्षकों को शारीरिक, भावनात्मक व यौन उत्पीड़न एवं उपेक्षा तथा इस तरह के अपमानजनक अनुभवों के अल्पकालिक व दीर्घकालिक हानिकारक परिणामों के बारे में जो भी जानकारी है वह दी जाए ताकि उसके आधार पर आगे बढ़ा जा सके।

शिक्षक प्रतिदिन बच्चों के सम्पर्क में रहते हैं और इसलिए वे उत्पीड़न की वजह से होने वाले शारीरिक तथा व्यवहार सम्बन्धी संकेतों को पहचानने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ये संकेत इस प्रकार के हो सकते हैं–शैक्षिक प्रदर्शन में अत्यधिक अस्थिरता, बेहद शत्रुता का भाव व क्रोध, निष्क्रिय होना, निर्लिप्तता, बात न करना या ऐसा ही कोई आकस्मिक परिवर्तन। शिक्षक परिवार से मिलने वाले संकेतों की सहायता से ऐसे बच्चों को भी पहचान सकते हैं जिनके परिवार वाले ही उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं; जिनके माता–पिता लगातार उन्हें दोषी ठहराते हैं या छोटा दिखाते हैं, अन्य भाई–बहनों की तुलना में नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में उदासीन रहते हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने से इनकार करते हैं।

शिक्षकों को कार्यशालाओं के माध्यम से यह सिखाया जाना चाहिए कि उत्पीड़न के बारे में पता चलने पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों के लिए यह जरूरी है कि वे बच्चों को यथासम्भव आश्वासन दें, बच्चे ने जो कुछ बताया है उस पर तीव्र प्रतिक्रिया करने से बचें, उसे सहारा दें और उसकी तारीफ करें कि उसने यह सब बताया। बच्चे को यह आश्वासन देना चाहिए कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि बच्चा इस बात से डरता हो कि उसे घर से ले जाया जाएगा या उसके माता–पिता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर इस तरह का भय व्यक्त किया जाता है तो शिक्षक को यह बात मान लेनी चाहिए कि उसे नहीं पता कि क्या होगा। इस सिलसिले में यह ध्यान में रखना चाहिए कि "यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण के

अधिनियम 2012" के अनुसार पुलिस में ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ऐसा न करना कानून द्वारा दण्डनीय है जिसके तहत छह महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

बाल उत्पीड़न और शारीरिक शोषण से निपटने के लिए हर स्कूल में रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया और स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रोटोकोल होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में "शारीरिक दण्ड" और "मानसिक उत्पीड़न" पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और इन्हें दण्डनीय अपराध माना गया है। स्कूलों को ऐसी प्रक्रियाओं की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करें कि उचित लोगों को सूचित किया जा रहा है, विचार–विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं और विद्यार्थी की स्थिति के बारे में उन सभी को बताया जा रहा है जिन्हें यह बात जानने की जरूरत है।

जब कोई बच्चा इस बात की रिपोर्ट करता है कि उत्पीड़न में स्कूल का ही कोई कर्मचारी शामिल है तो ऐसी हालत में बच्चे को विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है और यह बात याद रखनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। यदि स्कूल के किसी कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाया जाए तो शिक्षक को स्कूल की नीति एवं प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

उत्पीड़न और उपेक्षा को रोकने के लिए बाल उत्पीड़न की पहचान एवं रिपोर्टिंग महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन साथ ही स्कूलों को ऐसे कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना चाहिए जिनका उद्देश्य बच्चों में विकासात्मक दृष्टि से उपयुक्त कौशलों का विकास करके उन्हें सशक्त बनाना हो और उत्पीड़न को रोकना हो।

चैन्नई के एक गैर सरकारी संगठन TULIR द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, इसमें भाग लेने वाले चैन्नई के स्कूलों के कुल 2211 बच्चों में से 42 प्रतिशत बच्चों ने किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का सामना किया था। इसलिए यह जरूरी है कि स्कूलों में नियमित रूप से आत्म–सुरक्षा कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। इनसे बच्चों को खुद का बचाव करने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न से। आत्म–सुरक्षा पाठ्यक्रम में इन बातों को सीखना शामिल है– यौन उत्पीड़न, शरीर स्वामित्व, सुरक्षित–असुरक्षित एवं भ्रामक स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श का जवाब देना और बच्चों को सम्भावित उत्पीड़कों के बारे में जागरूक करना एवं ऐसे बदमाशों से निपटना।

वैसे तो बच्चों के लिए निर्धारित आत्म–सुरक्षा शिक्षा की आलोचना की जाती है कि इनके कारण बच्चों को यह महसूस होने लगता है कि अगर उनका उत्पीड़न हुआ है तो इसका कारण वे स्वयं हैं; उनमें अजनबियों के प्रति चिन्ता और भय का भाव एवं खतरे का बोध भी बढ़ जाता है। लेकिन ज्यादातर अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि जिन बच्चों ने इस प्रकार के रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लिया था उनमें इस बात की सम्भावना अधिक थी कि वे इस कार्यक्रम में सीखी गई आत्म–रक्षात्मक रणनीतियों का उपयोग करें और वे ऐसा करने को लेकर आश्वस्त भी थे।

वयस्कता की ओर प्रभावी रूप से बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि बच्चे और किशोर कुछ ऐसे कौशलों में महारत हासिल करें जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपरिहार्य हैं। जीवन के कौशलों का प्रशिक्षण शिक्षण–अधिगम की एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो ज्ञान, अभिवृत्ति व कौशलों को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है और जिनसे हम अपने जीवन की अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेने में सक्षम होते हैं क्योंकि इस प्रशिक्षण के कारण हम जीवन सम्बन्धी स्वस्थ विकल्प चुन पाते हैं, हममें नकारात्मक दबावों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तथा हम हानिकारक व्यवहारों को न्यूनतम कर पाते हैं। इसमें ये मूलभूत कौशल शामिल होते हैं जैसे समस्या को हल करना, समीक्षात्मक चिन्तन, रचनात्मक चिन्तन, निर्णय लेना, भावनाओं का सामना करना, पारस्परिक कौशल, सम्प्रेषण, समानुभूति, तनाव का सामना करना एवं आत्म–जागरूकता। चूँकि जीवन–कौशलों की शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है इसलिए इसे केवल जानकारियों या चर्चा के आधार पर सीखा या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसमें अनुभवजन्य विधियों जैसे नाटक, खेल और कहानी सुनाने को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इन तरीकों में प्रक्रिया व विषयवस्तु, अधिगम व बाहरी दुनिया के साथ जुड़ने की क्षमता तथा आत्म–चिन्तन की क्षमता को प्रखर करने जैसी बातों का मिश्रण होता है। स्कूल के बच्चों के लिए जीवन कौशल शिक्षा का जो कार्यक्रम NIMHANS द्वारा तैयार किया गया है, उसके तात्पर्य व प्रभावों के अध्ययन से यह पता चला है कि नियन्त्रित समूह की तुलना में इस शिक्षा को प्राप्त करने वाले बच्चे स्कूल व अपने शिक्षकों के साथ बेहतर रूप से समायोजन कर पाते थे और उनमें स्थितियों का सामना करने की क्षमता भी अधिक थी।

बाल उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में कौशलों का विकास करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है लेकिन अगर हम अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने व एक लचीला वयस्क बनने में उनकी मदद करना चाहते हैं तो यह बात भी जरूरी है कि स्कूल का वातावरण सुरक्षित, समावेशी और स्वीकारी हो। फ्लोरिडा त्रासदी के बाद, जिसमें एक साइबर उत्पीड़न के कारण एक बच्चे ने

आत्महत्या कर ली और इस अपराध के लिए 12 व 14 वर्ष की दो बालिकाओं को हिरासत में ले लिया गया, आज यह बात आवश्यक हो गई है कि स्कूलों में एक प्रभावी व व्यापक उत्पीड़न विरोधी पहल की शुरुआत की जाए। उत्पीड़न विरोधी पहल के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें उत्पीड़न की प्रबलता व बारम्बारता का आकलन करना शामिल है। इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उत्पीड़न के खिलाफ एकीकृत सन्देश भेजने के लिए समुदाय में हर किसी को शामिल किया जाए। आचार–संहिता, स्कूलव्यापी नियम तथा उत्पीड़न रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण करने की जरूरत है जिससे स्कूल में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में मदद मिले जिसमें उत्पीड़न अस्वीकार्य हो। इसे जागरूकता अभियान के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे प्रयास भी किए जाने चाहिए जिनसे स्कूल में सहिष्णुता, स्वीकार्यता व सम्मान की संस्कृति का विकास हो ताकि सकारात्मक सामाजिक सम्बन्धों और समावेशीकरण को प्रोत्साहन मिले।

बाल उत्पीड़न की रोकथाम के लिए स्कूल की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह जरूरी है कि सारे स्कूल बाल सुरक्षा नीति का विकास करें जो इस सम्बन्ध में स्कूल की भूमिका, जिम्मेदारियों व अभ्यासों को सम्बोधित करे। जब हम बच्चे के सर्वोत्तम हित में किसी हस्तक्षेप के बारे में सोचते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम इन बातों में बच्चे की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उसके परिप्रेक्ष्य को भी जान लें तथा उनकी जरूरतों व अनुभवों को मान्यता और प्राथमिकता दें।

यदि बच्चों को एक सशक्त परिवार और सहयोगी समुदाय का समर्थन मिले तो उनके लिए विकास करना और सीखना आसान हो जाता है। स्कूल इस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं जिनसे माता–पिता को सफल होने में मदद मिले और बाल उत्पीड़न व उपेक्षा की रोकथाम हो सके जैसे कि माता–पिता के लिए ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करना जिनमें प्रभावी अनुशासन, माता–पिता व बच्चे का सम्प्रेषण तथा इंटरनेट सुरक्षा जैसे लालन–पालन के कौशलों को बढ़ावा मिले। स्कूल व समुदाय को चाहिए कि वे बाल उत्पीड़न व उपेक्षा के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक–दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से काम करें। इन जागरूकता अभियानों का उद्देश्य समुदाय को यह समझाना होना चाहिए कि बच्चों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार सभी की समस्या है और इसकी रोकथाम सभी की जिम्मेदारी है।

नेल्सन मंडेला के शब्दों में,"सलामती और सुरक्षा यूँ ही नहीं हो जाती। वे सामूहिक आम सहमति और सार्वजनिक निवेश के परिणाम हैं। हमें अपने बच्चों को, जो हमारे समाज के सबसे असुरक्षित नागरिक हैं, हिंसा और भय से मुक्त जीवन देना है।"

References

- Ministry of Women Development, Government of India 2007. Study on Child Abuse India 2007. Available from http://wcd.nic.in/childabuse.pdf
- TULIR,Doesn't every child count ? Prevalence and dynamics of child sexual abuse disclosed among schoolgoing children in Chennai, February 2006. Available at http://www.tulir.org/images/pdf/Research%20report1.pdf
- Finkelhor, D. (1986). A sourcebook on child sexual abuse.Newbury Park, CA: Sage; Daro, D. (1988). Confronting childabuse: Research for effective program design. New York, NY: FreePress.
- Finkelhor, David, and Jennifer Dziuba-Leatherman. "Victimization prevention programs: A national survey of children's exposure and reactions." Child Abuse & Neglect 19.2 (1995): 129-139.
- Finkelhor, D., Asdigian, N. and Dzuiba-Leatherman, J. (1995). The effectiveness of victimisation prevention instruction: an evaluation of children's responses to actual threats and assaults. Child Abuse and Neglect, 19 (2), 142-153.
- Srikala, Bharath, and Kumar KV Kishore. "Empowering adolescents with life skills education in schools–School mental health program: Does it work?." Indian Journal of Psychiatry 52.4 (2010): 344.n and Child Development, Government of India 2007. Study on Child Abuse India 2007. Available from http://wcd.nic.in/childabuse.pdf



सौम्या भास्करन एक मनोचिकित्सक हैं जो NIMHANS बेंगलूरु में बाल एवं किशोर मनःचिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन का कोर्स कर रही हैं। उनसे bsowmya1984@hotmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवादः नलिनी रावल

डॉ. शेखर शेषाद्रि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेण्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS) बेंगलूरु, के बाल एवं किशोर मनोरोग विभाग में प्रोफेसर हैं। उनसे shekhar@nimhans.kar.nic.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

